शासकीय महाविद्यालय बरपाली

जिला - कोरबा (छ.ग.)

PROSPECTUS
CUM
BROCHURE

GOVT. COLLEGE BARPALI

Distt. : Korba (C.G.)

Ph.no.: 07759-279222, Fax no. : 07759-27922

e-mail : govtcollegebarpali@yahoo.com

Principal's Desk :

We welcome all the new students with all the best wishes and blessings.

This information Bulletin is aimed for the Students who are interested to take admission in this college. They will get all the information admission rules to campus rules. Government College Barpali is an institution where a real visionary group of faculties and staff are working and administration is leaving no stone unturned to get maximum facilities from Government and other agencies.

The reason of success of any teaching institution lies on two things one is good teaching and other is discipline. Therefore, all students are advised to be sincere and rule abiding in all their activities. The teaching and other staff of Govt. College Barpali will make their full effort to build your tenure in the institution highly productive and enriching. In return we expect dedicated and disciplined effort from the students.

We are looking forward to see you all sharing the responsibility to bring to the fore an excellent Institution.

Dr. S.L. Nirala

About Korba: Korba is the power capital of Chhattisgarh State. It was accorded a full fledged revenue district with effect from 25th May, 1998. The district comes under Bilaspur Division and is inhabited mainly by tribals including the protected tribes Korwas.

About Barpali: Barpali situated in Korba-Champa main road is a Sub-Tahsil of Kartala. It is located 20 kms towards East from district headquarter Korba. Barpali is connected with rail and road route . Railway station of Saragbundia is 1 km from Govt. College Barpali.

Govt. College Barpali: Govt. College Barpali is a step forward in the series of projects programmed to make Chhattisgarh sturdy in the field of higher education. It came into existence with the efforts of visionary elected members and progressive residents of Barpali. Started in 2010 with a one room temporary set up in a primary school building, today, Govt. College Barpali has its own majestic infrastructure. 26rooms, 4 Laboratories, Library, Departments and Play ground are the accomplishment that comes to the credit of this infant institution. At present college acquires land area of 5 acres and an equal area is proposed to be given for the college.

Vision: The vision of the college is to emerge as a torchbearer in higher education, research and application of knowledge to benefit students of this tribal belt.

Mission:

1. To attract outstanding students and to motivate and educate them to reach their full potential by opening vistas of higher education for regional youths.
2. To provide an educational atmosphere where faculties, staff, and administration strive together to educate students to lead in this global scenario.

Objectives:

The following objectives are identified to fulfill the vision and mission of the college:

- Provide an opportunity to the average residents of this tribal belt to acquire quality higher education.
- To foster and provide students a comprehensive education that includes in-depth instruction in their chosen fields of study.
- To nurture importance of team work, communication skills and moral values.
- To provide conducive environment for creativity and research.

Amenities:

Library:

The world of books is the most remarkable place of an institution. Though in embryonic stage, our library is equipped with good number of books and newspapers. We are planning to subscribe Journals and Magazine to benefit students with latest updates. E-

Journals, internet facility, Xerox facility, reading room, reference books are some of the features that college is aspiring for.

Library rules:

1. Students have to bring their library card for issuing and returning books in library.
2. Three books will be issued to a student at a time and will be for 15 days. In case of failure in returning/reissuing books after 15 days, fine will be levied on I rupee/day basis.
3. Students may sit in proposed reading room for reading Magazine/ Newspaper and other books in the coming session.

Book Bank:

College facilitates book bank for the ST/SC students. Students may get these books for the whole session and return after their examination. Book bank facility for BPL students is also available.

Sports:

Since its inception college took a giant leap in the field of sports. College has its own Badminton Court and Cricket ground. We provide Kabaddi, Volley ball, Chess, Kho-KHO, Shot Put etc. This year college has purchased a Table Tennis Board.

Students of institution have participated in various Block level, District level and State level sport activities and are continuously making their institution proud on them.

Scholarship: Scholarship facility are available as per Govt. Rule.

NSS:

N.S.S unit came into existence in Govt. College Barpali in the session 2014-15. It is working under the able guidance of Principal and N.S.S programme officer Dr. Shiv Dayal Patel. A unit of 100 NSS students is permitted under which 43 boys and 64 girls of the college are registered members. This unit is very punctual to organize regular NSS activities and a mega 7 days residential camp in nearby villages. Unit is very active to celebrate all the occasion sand recognized days with their voluntary contribution of labour extended for good cause. Be it Personality Development, Literacy Programme, Swachhta Abhiyaan, Plantation, Leadership Grooming , Adventurous expeditions or workshops, NSS volunteers of the college always take lead and initiative.

Annual Actvities of NSS at a Glance:

- A seven days special camp is organized in Village Bhandhvabhatha with 54 NSS volunteers.
- An awareness foot march by Bilaspur University was organised in the region in which Programe Officer and three students accompanied.

- One student volunteers have represented the college in a State level even organized in Danganiya Distt. Balod.
- Unit has organized a National Seminar on 28-29 March 2015, sponsored by CGCOST, Raipur (C.G)

Redcross unit:

An active red cross unit is running in the institution. Started its activities with Swachhhta Abhiyan on 2nd october 2014, college Red Cross unit has motivated students for cleanliness and ended the session by providing college with the facility clean drinking water. Further students were motivated by the teachings of Swami Vivekanand on the occasion of Vivekanand Jayanti under the flag of Redcross unit.

Faculties and Staff : An Introduction Mobile No:

PRINCIPAL : Dr. S. L. Nirala **9425538230**

Professors/Asst professors:

- **Dr. (Smt.) Abha Tripathi**, Head Department of Sociology **9406112947**
- **Dr. (Smt.) Ranjana Nath,** Head Department of Zoology **9827196196**
- **Dr. C. B. Prasad,** Head Department of Commerce **9827183833**
- **Dr. S. D. Patel,** Head Department of Hindi **9669128900**
- **Dr. Tanjeen A. Khan**, Head Department of English **9827168459**
- **Smt. Richa Rathore,** Head Department of Political Science **9926778778**

Lab Technicians:

- Smt. Lata Tliwari **9907948970**
- Shri S. P . Patley **9993853207**
- Shri B. N. Banjare **9669281240**

Office Staff:

- Shri K. S. Kanwar, Assistant grade-1 **9827488964**
- Shri D. K. Sahu, Assistant grade-11 **9827949989**

Class IV Staff:

- Shri Govind Prasad Khairwar **9926946026**
- Shri Manmohan Singh Kaiwart **9575487630**
- Shri Falit Ram, Choukidar, collectorate by Janbhagidari **9302682022**

Highlights of Govt. College Barpali:

- Study of Local Fauna in Zoology Lab.
- Exploring Local Geographical diversity.
- College represented in a national level event of NSS.
- Faculties attended various National/International academic events.

विभिन्न संकाय के विषय

कला संकाय B.A. I,II & III		
अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय	निर्धारित छात्र संख्या
आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन	राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल (कोई तीन)	60
वाणिज्य संकाय **B.com. I,II & III**		
आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय	60
विज्ञान संकाय **B.Sc. I,II & III**		
आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन	रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान	60
स्ववित्तीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रम		
1. डी.सी.ए. 2. पी.जी.डी.सी.ए. 3. बी.सी.ए.		40 40 40

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्रवेश शुल्क विवरण 2015-16

महाविद्यालय में वर्ष 2015-16 प्रवेश के लिए छात्रा को निम्नलिखित

विवरणानुसार शुल्क देय होगा -

शासकीय शुल्क		
प्रवेश शुल्क	3	
लेखन सामग्री शुल्क	5	
शिक्षण शुल्क	115	
प्रायोगिक शुल्क	20	
योग शासकीय शुल्क	143	
अशासकीय शुल्क		
छात्र कल्याण समिति प्रवेश शुल्क	3	
सम्मिलित निधि (महाविद्यालय गतिविधि/क्रीड़ा)	50	30+20
सोशल गेदरिंग (साहित्यिक कार्यक्रम)	50	
छात्र कामन रूम (वाचनालय)	20	
विभागीय पुस्तकालय	0	
महाविद्यालय विकास शुल्क	100	
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	
छात्र कल्याण शुल्क	10	
सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	
चिकित्सा शुल्क	3	
परिचय पत्र शुल्क	15	
शारीरिक कल्याण शुल्क	150	
पुस्तकालय शुल्क	20	
सम्मिलित निधि (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अंश)	2	1+1
नामांकन शुल्क	50	
प्रवजन शुल्क (आवश्यकतानुसार)	60	
रेड क्रास	25	
अवधान राशि	60	
आंतरिक मूल्यांकन	50	
योग अशासकीय शुल्क	723	
जनभागीदारी समिति		
जनभागीदारी शुल्क	200	
योग जनभागीदारी शुल्क	200	
महायोग समस्त शुल्क	1066	

नोट : 1. शासन/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत नये पाठ्यक्रम के लिए अलग से शुल्क देय होगा।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति –

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना –

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किंतु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्था (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसको प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना –

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की

पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण –

3.1 महाविद्यालों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रेल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनलय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उनहीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची –

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जावे।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति मे , निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा –

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों मे प्रवेश

दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियामानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश –

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी किंतु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस–सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश –

क. बी.कॉम./बी.एच.एस–सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एच.एस–सी. /एम.ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस–सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी./एम. ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश –

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम. पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल. बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहां 45% होगी। एल.एल.एम. पूर्वाद्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा –

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश –

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.काम. / बी.एस–सी. / बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किंतु संबद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।**

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय में पूरक / एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. **प्रवेश हेतु अर्हताएँ –**

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप

हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 क. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परंतु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

ख. आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

ग. विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

घ. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

ड. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

क. स्नातक एवं स्नाकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

ख. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/सवाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानो के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम में प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15% तथा 18% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भरकर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगें।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14% स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकालांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

क.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
ख.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
ग.	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
घ.	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
च.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
छ.	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
ज.	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
झ.	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
य.	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
र.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्य/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं –

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में

क.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
ख.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

2. उपयुक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंर्तसंभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

क.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
ख.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
ग.	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
3.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –	
क.	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
ख.	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
ग.	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/ सांस्कृतिक/ साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.6	छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –	
क.	छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
ख.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.7	जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

कि –

1. इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परंतु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नाकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन –

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं

विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच–डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध का प्रबंध सी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष –

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने को अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर(छ.ग.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन : 07752–214204, फैक्स : 07752.260294

क्रमांक 2043/अका./पात्रता/2015–16 बिलासपुर, दिनांक 28.05.2015

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2. प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर/उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) कक्षाओं में सत्र 2015–16 हेतु प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ : वि.वि. का पत्र क्र.–379–380/अका./पात्रता/2014 दिनांक 13.6.2013, पत्र क्र. 620,621/अक/पात्रता, दिनांक – 06.06.2014.

महोदय,

विषयांतर्गत कृपया अवगत हो कि छ.ग. स्थित विश्वविद्यालयों/छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से मान्य बोर्ड एवं छ.ग. स्थित सी.बी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर छ.ग. स्थित विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अनुत्तीर्ण एवं छ.ग. से बाहर अन्य विश्वविद्यालयों/मण्डलों से अंतिम परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में अस्थाई/स्थाई प्रवेश देने के पूर्व स्वध्यायी छात्र/छात्रो को भी परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रायः यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के विपरीत कतिपय प्रकरणों में विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा बिना पात्रता प्रमाण पत्र के ही अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों/मण्डलों से विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को संस्थागत एवं असंस्थागत प्रवेश दे दिया जाता है। यहा तक की उनके परीक्षा आवेदन पत्र भी बिना पात्रता प्रमाण पत्र के अग्रेषित कर दिए जाते है, जिससे विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समय कठिन वैद्याानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।

यह भी स्पष्ट करना है कि महाविद्यालयों के माध्यम से पात्रता आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा छात्र/छात्राओं को स्वयं विश्वविद्यालय बिलासपुर में उपस्थित होकर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी पात्र छात्र/छात्राओं को भी बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देने पर विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों की अवहेलना मानी जावेगी तथा इस हेतु प्रति छात्र रूपये पांच सौ (500/रू.) महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के पश्चात् संबंधित छात्र/छात्रा को पात्रता हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

इसी प्रकार छ.ग. राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय से संबंद्ध स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अगली परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश न दिया जाए। ऐसे छात्र/छात्राओं को निर्देश दे कि वे अपने अधूरे स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अपनी पूर्व अध्ययनरत् संस्था से ही पूर्ण करे।

अतः जहां नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है वहां बिना पात्रता प्रमाण पत्र के छात्र/छात्राओं को स्थाई अथवा अस्थाई प्रवेश न दिया जाए यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों के विपरीत छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिए जाने के उपरान्त कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

छात्र/छात्राओं के लिए आदर्श आचरण

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास के सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सूथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लोटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

2. अस्वस्थतावस आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।

3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

1. यदि छात्र/छात्रा किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

राष्ट्रीय सेवा योजना

शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्रवेश वर्ष : सत्र 201...–1...

नवीन / नवीनीकरण प्रवेश हेतु

आवेदक का
वर्तमान पासपोर्ट
आकार का रंगीन
छायाचित्र

बी–1 / बी–2 / सी / सही कोर्स टिक करें

1. विद्यार्थी का नाम .... रक्त समूह
2. अ. पिता का नाम ....
   ब. माता का नाम ....
3. पिता का व्यवसाय ....
4. वर्ग सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / पिछड़ा वर्ग ....
5. जन्मतिथि ....उम्र..
6. कक्षा .... वर्ग .... प्रवेश क्रमांक ....
7. स्थानीय पता ....
8. स्थाई पता ....
9. रासेयो में वर्ष ....
10. विविध क्षेत्रों तथा विषयों में रूचि का संक्षिप्त परिचय –

क्र.	विषय	पूर्णज्ञान	अपूर्णज्ञान	सीखने की विधि
1	खेलकूद (खेल का नाम)			
2	पर्यटन			
3	हस्तकला			
4	संगीत गायन / वाद्य			
5	नाट्यकला			
6	नृत्यकला			
7	कविता कहानी आदि			
8	पाक विद्या			
9	प्राथमिक चिकित्सा			
10	वाद–विवाद			
11	अन्य			

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि समय–समय पर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा बनाये गये रासेयो संबंधी नियमों का पालन करूंगा / करूंगी।

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

1. प्रवेश की तिथि .... रजिस्ट्रेशन के लिए ....
2. निरस्त करने के कारण ....

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरपाली
जिला–कोरबा (छ.ग.)

कार्यक्रम अधिकारी
रासेयो
शासकीय महाविद्यालय बरपाली

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I (Name of Student) ________________________________ S/oD/oMr.Mrs./Ms. (Name if Parent Guardian) __________________ having been admitted to (Name of college) ______________________________(C.G.) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations am aware that constitutes ragging.

3. I have also, in particular clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that,

   a. I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

   b. I will not participate in or abet or propagate through any act or commissions or omissions that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to cause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue, I am aware that my admission in liable to be cancelled.

Declare this _________day of ________ Month of _________ Year

Signature of Deponent

Name :__________________

Class :___________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to be the best of my knowledge and no part of affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _________day of ________ Month of _________ Year

Signature of Deponent

Name :__________________

Class :___________________

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the __________ of ___________ after reading the constants of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN

(Name of Parent/Guardia)____
Father/Mother/Guardian of (Name of student) ____________________________________
class________ having been admitted to (Name of college) ________________________
(C.G.) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of RAgging in Higher Education Institutions, 2009 (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations am aware that constitutes ragging.

3. I have also, in particular clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that,

   a. My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

   b. My ward will not participate in or abet or propagate through any act or commissions or omissions that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to cause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue, I am aware that my admission in liable to be cancelled.

Declare this _________day of ________ Month of _________ Year

Signature of Deponent

Name :___________________

Class :____________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to be the best of my knowledge and no part of affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _________day of ________ Month of _________ Year

Signature of Deponent

Name :___________________

Class :____________________

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the __________ of ___________ after reading the constants of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

APPLICATION FORM FOR ADMISSION 201..-1..

प्रत्येक पाठ्यक्रम/कक्षा हेतु पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा
Application form of one course of study shall not be transferred for another course of study.

शासकीय महाविद्यालय बरपाली

फार्म क्र...........001

जिला – कोरबा (छ.ग.)

प्राप्तांक	
पूर्णांक	
प्राप्तांक प्रतिशत	

प्रवेश आवेदन–पत्र

नवीन/नवीनीकरण प्रवेश हेतु

आवेदक का वर्तमान पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र

कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है Application for admission to..

विषयों के नाम जो आवेदक लेना चाहता है (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर)

अ. अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यक्रम ब. वैकल्पिक विषय (कोई तीन) (विवरण पत्रिका देखें)

1. .... 1. ....

2. .... 2. ....

3. .... 3. ....

1. पूरा नाम (देवनागरी लिपि में) ....

Name of the Candidate ....

2. जन्म तिथि (अंकों में) .... (शब्दों में) ....

Date of Birth (In digit) ....(In words)..

3. लिंग (Sex) पुर्लिंग Male ☐ स्त्रीलिंग Female ☐ उभय लिंग Third Gender ☐

4. पिता का नाम (Father's Name)..

माता का नाम (Mothers Name)..

5. पत्र व्यवहार का पता ....

Mailing Address .... फोन नं./मो. ....

स्थाई पता Permanent Address ....

6. पिता/पालक का व्यवसाय .... वार्षिक आय ....

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है? .... यदि हां तो किस स्थान का ....

8. राष्ट्रीयता Nationality ....

9. जाति Caste ....

10. श्रेणी– अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐ सामान्य ☐ विकलांग ☐ स्वतंत्रता सेनानी ☐
Category (टीप – जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा)

11. धर्म Religion – हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ ईसाई ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ अन्य ☐

12.आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण (10+2 से कक्षावार)

क्र.	कक्षा	रोल नं.	वर्ष	प्राप्त श्रेणी व प्रतिशत	विषय	बोर्ड / वि.वि. का नाम	शिक्षण संस्था	विशेष
1	दसवीं							
2	बारहवीं							
3	स्नातक प्रथम							
	द्वितीय							
	तृतीय							
4	स्नातकोत्तर							
	पूर्वार्द्ध							
	अन्त्य							
5	अन्य							

13.किसी संस्था में कार्यरत हो तो जानकारी देवें :...

14.न्यायालयीन / पुलिस प्रकरण की जानकारी :..

15.शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियां :

1. खेलकूद – 1. .... 2. ....
2. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) ....
3. राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) ....
4. अन्य जानकारी

नोट – क्रमांक 1 से 16 तक की प्रविष्टियॉ सत्य एवं पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

16.संलग्न प्रपत्रों की सूची (चेकलिस्ट टिक करें) :

1. फोटो (पासपोर्ट साईज)	☐	9. खेलकूद	☐
2. दसवीं अंक सूची	☐	10. NSS/NCC प्रमाण पत्र	☐
3. बारहवीं अंक सूची	☐	11. विकलांग प्रमाण–पत्र	☐
4. स्नातक प्रथम	☐	12. स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण–पत्र	☐
द्वितीय	☐	13. प्रवजन / पात्रता प्रमाण–पत्र	☐
तृतीय	☐	14. गेप प्रमाण–पत्र	☐
5. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र	☐	15. गरीबी रेखा प्रमण–पत्र	☐
6. चरित्र प्रमाण–पत्र	☐	16. एफीडेविट प्रपत्र	☐
7. जाति प्रमाण–पत्र	☐	(प्रवेश सूची में नाम आने पर)	
8. निवास प्रमाण–पत्र	☐	17. अन्य	☐

दिनांक .... छात्र / छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर

दूरभाष ....

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचार संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों (महाविद्यालय के नियमों) का पालन करूंगा/करूंगी। उपर्युक्त उल्लेखित कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती हूं तथा वि.वि. द्वारा मेरे प्रवेश की स्वीकृति प्रदान नहीं करने की दशा में इसका कोई दायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा और न ही मेरे द्वारा जमा किया हुआ कोई शुल्क वापस हो सकेगा।

उपर्युक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे स्वविवेक से मेरी गलती के लिये मुझे दण्डित कर सकते हैं और निष्कासित भी कर सकते हैं। जिसके लिये मुझे या मेरे पालक को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है।

मैं जानता हूं कि रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। मैं रैगिंग का सख्त विरोधी हूं और यदि मैं महाविद्यालय में रैगिंग करते पाया जाऊँ तो मुझे तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित किया जावे।

दिनांक .... छात्र/छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर

नोट : 1. स्नातक स्तर पर (बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम एवं बी.सी.ए. भाग–एक) प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएं 10वीं एवं 12वीं की अंकसूचियों की दो–दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें। संलग्न दो प्रतियों में से एक महाविद्यालय कार्यालय हेतु एवं दूसरी नामांकन हेतु वि.वि. को प्रेषित की जावेगी।

2. चयनित छात्र–छात्रा को स्वयं का पता लिखा हुआ दो प्रति में पांच रूपये का टिकट लगा लिफाफा प्रवेश प्रभारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

पिता या पालक का घोषणा–पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री द्वारा इस आवेदन–पत्र में दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। महाविद्यालय के विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं को मैंने अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुये महाविद्यालय को पूरा सहयोग देता रहूंगा। मैं अपने पाल्य के सभी प्रकार के शुल्कों एवं देयकों को नियमित रूप से भुगतान करने का उत्तरदायी रहूंगा।

यदि मेरा पाल्य रैगिंग करते पाया गया या उसके विरूद्ध रैगिंग की कोई शिकायत हुई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। इसमें मेरी पूर्ण सहमति होगी।

दिनांक .... पिता/अभिभावक का पूर्ण हस्ताक्षर

फोन नं. ....

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु
For office use only

आवदेन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की जॉच कर ली गयी है तथा उन्हें ठीक पाया गया। उनमें निम्नलिखित अपूर्णताएं तथा प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये गये है।

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

दिनांक .... प्रधान लिपिक

प्रवेश समिति की अनुशंसा/टिप्पणी

1. आवेदक को कक्षा .... में विषय.. के साथ प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।
2. आवेदक को शासन/वि.वि. द्वारा निर्धारित प्रवेश नियम के अधीन वर्ग वार (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य/विकलॉग/स्व.सं.से.) के अंतर्गत प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।
3. आवेदक को निम्नलिखित प्रतिबंधों पर प्रवेश दिया जावे।
   अ. विषय परिवर्तन ....
   ब. आवेदन पत्र की निम्नलिखित आपूर्तियॉ की जावे ....
4. आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जावे।

दिनांक .... संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य का आदेश

श्री/कु./श्रीमती .... को ऊपर दर्शायी गई कक्षा में निहित शर्तो के अंतर्गत प्रवेश दिया जावे।

दिनांक .... प्राचार्य

शुल्क शाखा

कक्षा .... प्रवेश क्रमांक .... प्रवेश दिनांक............................ में प्रवेश उपरांत निम्न शुल्क प्राप्त हुआ।

क्र.	विवरण	राशि	रसीद क्र.	दिनांक
1	शासकीय शुल्क			
2	अशासकीय शुल्क			
3	जनभागीदारी शुल्क			
4	अन्य शुल्क			

दिनांक .... हस्ताक्षर शुल्क प्राप्तकर्ता

नवनिर्मित भवन : शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला - कोरबा (छ.ग.)

प्रकाशक : प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)
फोन नं. : 07759-279222
मुद्रक : आरती कम्प्यूटर्स एण्ड फोटोकापी, पुराना बस स्टैण्ड, बिलासपुर, मो. : 9993804646